

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक— /2015

निगरानी 2367-11-15 बसंतराम तिवारी पिता स्व. श्री संतराम तिवारी,

निवासीगण—कोतमा थाना व तहसील कोतमा

जिला अनूपपुर (म.प्र.) —आवेदक

बनाम

श्री विजय शर्मा आदि
द्वारा आज दि. 25-7-15 को
प्रस्तुत

के.के.के.के.
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

1. रामरुद्र पिता नवेदाप्रसाद सोनी,
2. राजेश सोनी पिता रामरुद्र सोनी दोनों
निवासी—कोतमा थाना व तहसील कोतमा
अनूपपुर (म.प्र.)
3. जवाहर पिता स्व. धर्मप्रकाश ब्राम्हण माता स्व.
बुधिया बाई
4. रामशरण पिता स्व. धर्मप्रकाश ब्राम्हण माता
स्व. बुधिया बाई
5. बद्री प्रसाद पिता स्व. धर्मप्रकाश ब्राम्हण माता
स्व. बुधिया बाई
निवासीगण—ग्राम देवरी थाना बुढ़ार तहसील
जैतपुर
6. म.प्र. राज्य द्वारा कलेक्टर जरिये पटवारी हल्का
कोतमा, तहसील कोतमा जिला अनूपपुर (म.प्र.)

—अनावेदकगण

न्यायालय आयुक्त शहडोल संभाग, शहडोल (म.प्र.)
द्वारा प्रकरण क्रमांक-209/निगरानी/2008-09 में
पारित आदेश दिनांक 05/03/2012 के विरुद्ध म.प्र.
भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अधीन
पुनरीक्षण।



माननीय महोदय,

आवेदक का पुनरीक्षण निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

R 2367-15

28-9-15

कठोर की कोर के रूप में
 उपरान्त कोर में उपस्थित नहीं।
 बसत भास में कोर के फंक्शन
 साक्षिपवता उपस्थित। समय समय
 पर लीकवाट फुकर कावादी वादी कोर
 उपस्थित नहीं। कठोर की सुगुणित
 के कारण उवाग अरुम फंक्शन के
 रवाजि किना मला ली

28/9/15
 BMS
 2367
 (Dushwa)